प्रार्थना पत्र संख्या 20/22
जगदीश वगै. बनाम नत्थी
निर्णय दिनांक 22.10.2024

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
20/2022	04.07.2022	22.10.2024

बउनवान

1. जगदीश पुत्र यादराम निवासी पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. हजारी पुत्र यादराम निवासी पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. हरी पुत्र यादराम निवासी पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. नहनी देवी पत्नी यादराम निवासी पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा।
5. उगन्ती पुत्री यादराम पत्नी श्री मिट्ठूराम निवासी पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा हाल निवासी कच्ची बस्ती गिरधारीपुरा जयपुर राज.।
6. चन्दा पुत्री यादराम पत्नी श्री मोतीराम निवासी पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा हाल निवासी सुजानपाडा, तहसील बसवा जिला दौसा राज.।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. नत्थी देवी पत्नी लालाराम बैरवा वर्ष निवासी हींगवा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री गोपीराम निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।
3. तीजो देवी पत्नी रामकुंवार निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।
4. भरतलाल पुत्र रामकुंवार निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।
5. शिवदत्त पुत्र रामकुंवार निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।
6. लाली पुत्री रामकुंवार निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा (राज.)।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा नम्बर 198/0.14, 221/0.23, 263/0.04, 265/0.04, 267/0.05, 476/0.04, 477/0.05, 478/0.03, 74/0.11 कुल किता 9 कुल तादादी 0.73 हैक्टेयर ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी इस खातेदारी कृषि भूमि में काश्त करते है। प्रार्थीगण की आराजी में सभी अप्रार्थीगण आये दिन डोल मेढों को काटते रहते है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने खेतों के चारों तरफ गाढे गये खम्भों को उखाडकर फेंक देते हैं। तहसीलदार मण्डावर के आदेश क्रमांक भू.अ./17/22 दिनांक 27.05.22 दिनांक 13.06.22 की पालना में पटवारी हल्का धौलखेडा मौके पर पहुंचकर खसरा नंबर 73 व 74 का सीमाज्ञान किया जाकर निशानात कायम किये। अप्रार्थीगण द्वारा निशानात को जबरन हटा दिया गया एव प्रार्थीगण को झूठे मुकदम में फंसाने मारने व पीटने पर उतारू हो गये। इसलिए प्रार्थीगण अपनी भूमि के खसरा नम्बर 74 की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार, ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 74 तादादी 0.11 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 74 कुल तादादी 0.11 हैक्टेयर भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 74 की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक उकरूंद को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियूक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक उकरूंद मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण पडौसीयान की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)